

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- P.S. to F.A./2017-18/69

दिनांक :- 28/8/17

- :: कार्यालय आदेश ::-


मण्डल के सभी आवासीय अभियन्ताओं, उप आवासन आयुक्तों, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं एवं मुख्य अभियन्ताओं को आज दिनांक 28.08.2017 को श्रीमान् आवासन आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना में आदेशित किया जाता है कि निर्माण कार्य/विकास कार्य के पेटे किये जाने वाले समस्त भुगतान के मांग पत्र दिनांक 29.08.2017 एवं 30.08.2017 को बोर्ड रूम में उपस्थित होकर सभी वांछित कार्य पूर्ण कर भुगतान शाखा को प्रस्तुत करें। संवेदकों द्वारा भुगतान हेतु निवेदन किया जा रहा है। अतः भुगतान का अग्रिम कार्यवाही समय पर की जा सके।

1

वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल,
4. अति. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल,
5. उप आवासन आयुक्त वृत्त राज. आवा. मं.,
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड राज. आवा. मं.,
7. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी को मेल करें।
8. रक्षित पत्रावली।


वित्तीय सलाहकार